न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **598 / 2022**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. खिमसिंह पुत्र चुन्नीलाल 2. कानसिह पुत्र चुन्नीलाल 3. नरपतसिंह पुत्र चुन्नीलाल 4. जसदेवसिंह पुत्र हुकमसिंह सभी जातियान राजपुरोहित निवासीगण– तिरसिगडी सोढा, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर।		1. मदनसिंह पुत्र मोहनसिंह 2. हंसराज पुत्र मोहनसिंह 3. महावीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 4. ध्रुवसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 5. सुकाकंवर पत्नी उम्मेदसिंह सभी जातियान राजपुरोहित निवासीगण– तिरसिगडी सोढा, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर। 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कल्याणपुर। 7. धनसिंह पुत्र लालसिंह 8. शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह 9. मोतीसिंह पुत्र भगवानसिंह 10. धनसिंह पुत्र जवाहरसिंह 11. जमना पत्नी जवाहरसिंह जातियान–राजपुरोहित 12. खीमाशंकर पुत्र मोहनलाल 13. भैरूलाल पुत्र मोहनलाल 14. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल 15. नरेश पुत्र मोहनलाल जातियान– श्रीमाली। 16. धन्नाराम पुत्र रूपाराम 17. हरीराम पुत्र रूपाराम 18. गणपत पुत्र रूपाराम जातियान–नाई 19. किसनाराम पुत्र पनाराम जाति–जाट निवासीगण– तिरसिगडी सोढा, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2022 उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84 / 2022 अनवान मदनसिंह वगैराह बनाम धनसिंह वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुरेश करणसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2–श्री शंकरसिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30 जून, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम तिरसिगडी तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 682 / 612 रकबा 5.22 बीघा, ख0सं0 851 / 412 रकबा 5.19 बीघा, ख0सं0 645 / 413 रकबा 3.06 बीघा, ख0सं0 858 / 413 रकबा 03 बिस्वा,

ख0सं0 655/426 रकबा 16.12 बीघा कुल 31.12 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त खसरान भूमि के चारों और पक्के नेखमबन्दी करवाई जाने के आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया और मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही नेखमबन्दी कर राजस्व रेकार्ड में गलत तरीके से नेखमबन्दी व पत्थरगढी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश धारा 111, 128 के प्रावधानों के व विधि विरूद्ध, मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है क्योंकि रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस व अन्य अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है तथा सहखातेदारों को सुनवाई का उचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में पूर्व में जो रास्ता चल रहा था और आज भी मौके पर कायम है लेकिन राजस्व अधिकारियों के द्वारा व्यथित आदेश की पालना में रिकार्ड में रास्ता दर्ज कर दिया जो कभी पूर्व में था और न वर्तमान में चल रहा है। नजरिये नक्शे में दर्ज के आधार रेस्पोडेन्टस पालना करवाना चाहते है उसके उपरान्त वर्तमान में पूर्व में जो रास्ता चल रहा है वह आज भी कायम चल रहा है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी/अपीलान्टस को समुचित सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया व वादग्रस्त भूमि पर बाले–बाले आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य होने से निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाइश व सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित कर तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कराने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिरसिगडी तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 682/612 रकबा 5.22 बीघा, ख0सं0 851/412 रकबा 5.19 बीघा, ख0सं0 645/413 रकबा 3.06 बीघा, ख0सं0 858/413 रकबा 03 बिस्वा, ख0सं0 655/426 रकबा 16.12 बीघा कुल 31.12 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त खसरान भूमि के चारों और पक्के नेखमबन्दी करवाई जाने के आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवश्यक पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया था परन्तु उनके द्वारा बावजूद सूचना के न्यायालय के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपने खेत खसरान की तरमीम भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करवाये जाने से पूर्व उनके द्वारा तहसीलदार कल्याणपुर के समक्ष 16.12.2021 को आवेदन कर सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर दिनांक 18.02.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया गया तथा मौका फर्द पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई। अन्य अप्रार्थीगण/अपीलान्टस के द्वारा सीमाज्ञान से असंतुष्ट होने व चिन्हित निशान को तोड फोड कर नुकसान पहुंचाये जाने के कारण भविष्य में विवाद पैदा होने की संभावना के कारण रेस्पोडेन्टस के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपनी खातेदारी की खेत खसरान भूमि की सीमाज्ञान व मौके पर पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु निवेदन किया एवं अपनी सीमाओं के सभी पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया। जिनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस जारी किये व तामीली करवाई गई परन्तु वे अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2022 के द्वारा रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त नेखमबन्दी की कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस के जरिये सूचित कर व एक तिथी निश्चित कर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी करने के आदेश पारित किये गये जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 18.2.2022 में मौके पर किसी प्रकार का विवाद का जिक नहीं है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में मौका फर्द व निर्णय की कार्यवाही एकपक्षीय की जानी पाई गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम टीम गठित कर अपील में वर्णित खसरान की भूमि की दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार पैमाइश करवाई जावें। तत्पश्चात यदि आवश्यक हो तो विधिवत पत्थरगढी करवाये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30 जून, 2023 को सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर